

सूचना  
मा0 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2022-23

शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्नातक प्रथमवर्ष (बी0ए0/बी0एससी0/बी0काम0) में प्रवेशित छात्राओं के लिए मा0 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ₹0 5000/- (पाँच हजार मात्र) की धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत् निर्धारित है—

1. पात्र वालिका का परिवार उ0प्र0 का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण-पत्र हो (यथा—राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत विल/टेलीफोन का बिल) भी मान्य होगा।
2. पात्र वालिका/छात्रा की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3.00 (तीन लाख मात्र) होनी चाहिए।
3. परिवार की अधिकतम दो ही वालिकाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा, वे शर्तें दोनों वालिकाओं ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो।
4. वालिका/छात्रा के माता-पिता के परिवार का आकार अधिकतम दो बच्चों तक मान्य है।
5. यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ वालिकाओं को गोद लिया गया है वे भी इस योजना की पात्र हैं। परन्तु महाविद्यालय उन्होंने प्रवेश लिया हो।

पात्र आवेदकों हेतु आवेदन हेतु अभिलेखों की सूची—

1. छात्रा के बैंक खाते की पास बुक की छायाप्रति।
2. निवास प्रमाण पत्र।
3. राशन कार्ड।
4. आधार कार्ड।
5. परिवार की वार्षिक आय प्रमाण-पत्र।
6. निर्धारित शपथ-पत्र।
7. छात्रा का नवीनतम फोटो।

8. आवेदक के माता-पिता एवं बालिका का का नवीनतम फोटो
9. महाविद्यालय फीस रसीद संख्या
10. प्रवेशित छात्रा को प्रवेश लेने के उपरांत अंतिम तिथि तक आवेदन फार्म को ऑनलाइन/आफलाइन फार्म भरकर समिट करें। अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्चा की जायेगी।
11. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के अंकपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
12. महाविद्यालय के परिचयपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

1. ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निदेशक महिला कल्याण एवं बालविकास विभाग उ०प्र० की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रिंट की प्रति महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
2. आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किये जायेंगे।

Dr. Ansari  
 (डॉ सना परवीन अंसारी)  
 प्रभारी

M. Pandey  
 प्राचार्य

डा. दीपशिखला कार्तिक	सदस्य	
डा. लक्ष्मी देवी	"	
डा. राजश्री भट्टेश्वरा	"	
डा. आरती निशा	"	